न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह रिनरिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2025 / 206)

प्रकरण संख्याः—119 / 2025
तारीख दायरः—24 / 11 / 2025
निर्णय दिनांकः—21 / 12 / 2025

उनवान

1. रघुवीरसिंह चोहान पिता भवरसिंह जाति रावत निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

प्रार्थी।

बनाम

1. भुरसिंह पिता रामसिंह जाति रावत निवासी कानियाणा तहसील भीम जिला राजसमन्द व अन्य।
2. रामुसिंह पिता भागसिंह जाति रावत निवासी कानियाणा **अप्रार्थीगण**
3. किशनलाल पिता भेरुलाल निवासी सोलंकी नाका देवगढ़

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. मू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी, कब्जेशुदा जमीन ग्राम देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 2069 खसरा संख्या 6295 / 57 कुल रकबा 0.1080 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 03 के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थीगण संख्या 04 के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

प्राथी अधिवक्त की एकतरफा बहस सूनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान / पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी ,देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

—:आदेश:—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं ग्राम देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 2069 खसरा संख्या 6295/57 कुल रकबा 0.1080 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर लोक अदालत में सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द